हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/11/18 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० बहस प्रार्थनापत्र u/s 212 RT Act सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30/11/18 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	
30/11/18 पत्रावली पेश हुई। चुनाव कार्य में व्यस्त होने से आदेश लिखा नहीं जा सका। अतः आइन्दा वास्ते आदेश 14/12/2018 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	
1 12/2018 पत्रावली पेश हुई। निर्णय पृथक से लिखा जाकर प्रार्थनापत्र u/s 212 RT Act स्वीकार किया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर शामिल पत्रावली दावा रहें। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर बावडी जिला जोधपुर

न अधिकारी: श्री गौरव सैनी, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)

र्थना पत्र संख्या 78/2018

बनाम

म पुत्र श्री मूलाराम
ुम्हार, निवासी–
हसील बावडी
जोधपुर

अप्रार्थीगण

1 मिश्रीलाल पुत्र श्री रामचन्द्र
2 जगदीश पुत्र श्री मुरलीधर
3 अशोक पुत्र श्री राजाराम
4 सत्यनारायण पुत्र श्री भीखाराम
5 दिनेश पुत्र श्री राजाराम
6 मनोहरदेवी पत्नि श्री राधेश्याम
7 जगदीश पुत्र श्री राजाराम
8 लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री भीकाराम
सभी जातिगण ब्राहम्मण
9 बद्रीलाल पुत्र श्री अर्जुनराम जाति कुम्हार
10 नेनाराम पुत्र श्री भीकाराम जाति कुम्हार
11 निर्मला पत्नि श्री फूसाराम जाति ब्राहम्मण
सभी निवासीगण बावडी तहसील बावडी जिला जोधपुर
12 सरकार जरिये तहसीलदार बावडी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

धतः– 1 श्री एस.एस. निर्वाण अधिवक्ता प्रार्थी
2 श्री भीकाराम विश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 14/12/2018

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बावडी के चक र 1 के खसरा नं. 1692 का कुल रकबा तत्कालीन समय में 20 बीघा 05 बिस्वा भूमि आई हुई थी । उक्त 20.05 बीघा कई खातेदारों की सामलाती कृषि भूमि थी, जिस पर भिन्न–भिन्न समय में कई काश्तकारों ने काश्त की थी एवं सभी ादारों ने प्रार्थी के पक्ष में 19.05 बीघा भूमि का बेचाननामा निष्पादित कर पंजीबद्ध करवा कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था उस वक्त तत्कालीन खातेदारों ने 1 बीघा भूमि अपने खातेदारी मे रखी जिसको भी बाद में प्रार्थी को बेचान कर कब्जा र्द कर दिया । इस प्रकार उक्त खसरे का कुल रकबा 20.05 बीघा का बेचान नामा निष्पादित हो चुका हैं तथा प्रार्थी त भूमि का अभिलिखित खातेदार है एवं मौके पर काबिज काश्त है । इस खसरे के पास में ही खेत खसरा नंम्बर 1689 ा हुआ है जिसको मूल खातेदार ने छोटे–छोटे भूखण्डो में विभक्त कर आवासीय के रूप में संपरिवर्तन करवाकर भिन्न– न लोगों को बेचान कर दिये, जिसके अनुसार प्रार्थी के खातेदारी के खेत के पडौस में माठ से सटकर अपनी हद में कुल भूखण्ड बनाये जिनको अप्रार्थीगण ने भूखण्ड संख्या 1 से 14 कय कर लिया । उक्त भूखण्डों का नाम बेचान दस्तावेज नक्शा के अनुसार 25X50 फीट रखा गया ।

अप्रार्थीगण ने कय किये गये भूखण्ड में जब निर्माण कार्य करने लगे तो उन्होने बेचाननामे से अधिक की भूमि जो र्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की है, पर अतिकमण करने लग गये एवं मना करने पर एक दीवानी वाद सिविल न्यायाधीश निष्ठ खण्ड पीपाडशहर के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया, जबकि अप्रार्थीगण को प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि बत् वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था । कुछ अप्रार्थीगणों ने एक वाद के जरिये प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों को नौती सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पीपाडशहर के न्यायालय में जरिये वाद दी, जो आज भी लम्बित है । अप्रार्थीगण एक राय होकर प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि को हडपने की नियत से कब्जा करने का प्रयत्न किया जसके फोटोग्राफ न्यायालय में प्रस्तुत है । प्रार्थी ने अपने खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंम्बर 1692 व 1692/1 जसको दो बेचाननामों के जरिये कय किया था, को पुनः मिलाकर एक खसरे के रूप में स्थापित कर दिया एवं इस खसरे ी माठ पर कच्चा झौंपा अपने कृषकों हेतु स्टील का चद्धर चढाकर बनाया तो अप्रार्थीगण ने एक दीवानी वाद पेश किया । क्त वाद में सिविल न्यायाधीश (क0ख0) पीपाडशहर ने मौका कमीश्नर नियुक्त कर वास्तविक स्थिति तलब की गई, जिस र रूबरू पक्षकारान् मौका देखकर नाप तोल किया जिसके अनुसार मौके पर भूमि उनके द्वारा कय किये गये क्षैत्रफल से धिक पाई गई । अप्रार्थीगण का ख0नं0 1692 से कोई लेना देना नहीं है । अप्रार्थीगण ने खसरा नंम्बर 1689 में से कय की है एवं बेचाननामे के अनुसार भूमि अप्रार्थीगण के कब्जे में होनी चाहिए, परन्तु मौके पर प्रार्थी की जमीन को हडपना वाहते है । उक्त कथन कमीश्नर की रिपोर्ट से प्रमाणित है ।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रार्थी का प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रमाणित है, तथा सुविधा का भी प्रार्थी के पक्ष में है एवं निश्चित तौर से अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी, क्योंकि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के ी कब्जे व काश्त की भूमि पर खडी फसल को नुकसान पहुंचा रहे है । तथा कुछ हिस्से पर अतिक्रमण भी कर है । इसके विपरित अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा । र्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर वाद के लम्बित रहने तक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमाई जावें कि गण विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नं तो स्वयं करें और नं ही किसी से करवायें ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण की ओर से क्ता श्री भीकाराम विश्नोई उपस्थित हुए एवं जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया । अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए बताया गया कि ग्राम बावडी में स्थित खसरा नंम्बर 1692 व मूल नं0 1689 के बीच में स्थित माठ व पीढीयों से कदीमी रास्ता गोवा विद्यमान रहा है, जिसका उपयोग अन्य खसरान् ग पीढीयों से लेते आये है, उक्त कदीमी रास्ता वाले विवादग्रस्त स्थल की यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश माफिक कमीश्नर रिपोर्ट सिविल न्यायालय पीपाडशहर में विचाराधीन दीवानी वि0 प्रा0 सं0 48/2014 गिश्रीलाल बनाग राम में बनाये रखने का हो रखा है, अप्रार्थीगण के रहवासीय मकानों का निकाल एवं हवा रोशनी इत्यादि दक्षिण में कदीमी रास्ते पर है । अप्रार्थीगण के प्लॉटों पर पक्के रहवासीय मकान वर्षो पुराने बना रखे है । अप्रार्थीगण के ा में स्थित कदीमी रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया हुआ है । अप्रार्थीगण के दक्षिण में प्रार्थी के खेती की भूमि नहीं है । अतः प्रार्थी का प्रथम दृष्टया इस प्रकरण में कतई नहीं बनता है, एवं न ही सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के हक में है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिथ्या, आधारहीन बनावटी तथ्यों पर आधारित होने एवं विधि द्वारा वर्जित होयने से खारिज किये जाने के आदेश फरमावें ।

पक्षकारान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में बताया गया किउक्त वादग्रस्त ाजी में अप्रार्थी ने गोवा दर्शाया है, जबकि गोवा नहीं है । नक्शे में प्रार्थी के प्लॉट 25X50 फीट पर अप्रार्थी ने ज्यादा ान पर अपना कब्जा कर लिया व कुडा कचरा मेरे प्लॉट में डाल रहा है । इस प्रकार उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया ला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है । अगर अप्रार्थी को निर्माण कार्य पर दखलन्दाजी करने से रोका नहीं ा तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को ही होगी । अतः उक्त वादग्रस्त आराजी में तादावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के द्ध इस आशय की जारी की जावें कि वे प्रार्थी के कब्जे व काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें ।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए बताया गया कि प्रार्थी ने ारी भूमि में छपरे बनाए । मकान को नुकसान पहुंचा रहे है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें । ावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं पक्षकारान् अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं रिस्थितियों के अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है, गर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त में अतिक्रमण करने एवं निर्माण कार्य पर दखलन्दाजी करने से रोका नहीं या तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित है ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाता हैं कि तादावा फैसला अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता हैं कि वे वादग्रस्त आराजी ग्राम बावडी चक–I के खसरा नम्बर 1692 एवं 1692/1 पर प्रार्थी के कब्जे व काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य से करवायें ।

14.12.18
(गौरव सैनी)
आई.ए.एस. प्रशिक्षु
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावडी

निर्णय आज दिनांक 14/12/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14.12.18
(गौरव सैनी)
आई.ए.एस. प्रशिक्षु
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावडी